

महिला आरक्षण वधियक, 2023 में OBC संबंधी चर्चाएँ

प्रलम्बिस के लयि:

महिला आरक्षण वधियक, 2023, अनय पछिडा वरग (OBC) का उप-वर्गीकरण, सर्वोच्च नयायालय, गीता मुखर्जी रपिर्ट, मंडल आयोग, NCBC के लयि संवैधानकि दरजा, न्यायमूर्तजि. रोहणी आयोग

मेन्स के लयि:

OBC महिलाओं के लयि सीटों के आरक्षण के पक्ष और वपिक्ष में तर्क, OBC आरक्षण का ऐतहिसकि वकिस

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पारति [महिला आरक्षण वधियक, 2023](#) में [अनय पछिडा वरग](#) की महिलाओं के लयि कोटा खतम कयि जाना चर्चा का वषिय बना हुआ है। आलोचकों ने इस कदम को प्रमुख सरकारी पदों पर OBC के नमिन प्रतनिधित्व को लेकर चर्चा के रूप में इंगति कयि है।

अनय पछिडे वर्गों के प्रतनिधित्व संबंधी चर्चाएँ:

■ संदर्भ:

- महिला आरक्षण वधियक 2023, जो लोकसभा और राज्य वधिनसभाओं में महिलाओं के लयि 33% सीटें आरक्षति करता है, में OBC की महिलाओं के लयि कोई प्रावधान नहीं है।
 - इसके अलावा [अनुसूचति जाति](#) और [अनुसूचति जनजाति](#) के वपिरीत भारतीय संवधिन लोकसभा अथवा राज्य वधिनसभाओं में OBC के लयि राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है।

■ प्रमुख मुद्दे:


- आलोचकों का तर्क है कि OBC, जो आबादी का 41% हसिसा है (राष्ट्रीय प्रतदिर्श सर्वेक्षण संगठन के वर्ष 2006 के सर्वे के अनुसार), का लोकसभा, राज्य वधिनसभाओं और स्थानीय सरकारों में प्रतनिधित्व अपर्याप्त है।
 - ये एससी और एसटी के लयि आरक्षण की तरह ही लोकसभा और राज्य वधिनसभाओं में अपने लयि अलग कोटा की मांग कर रहे हैं।
 - हालाँकि सरकार ने वधिक एवं संवैधानकि बाधाओं का हवाला देते हुए ऐसा कोटा लागू नहीं कयि है।
- उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी कई राज्य सरकारों ने इन्हें स्थानीय नकियाय चुनावों में उचति प्रतनिधित्व प्रदान कयि है।
 - लेकिन [सर्वोच्च नयायालय](#) ने समग्र आरक्षण पर 50% की सीमा आरोपति की है (वकिस कशिनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य), जसिमें OBC आरक्षण को 27% तक सीमति कयि गया है।
 - 50% की यह ऊपरी सीमा इंदरि साहनी बनाम भारत संघ फैसले के अनुरूप है।
 - इस नरिणय की इस आधार पर आलोचना की गई कि 27% आरक्षण, राज्यों में OBC जनसख्या के अनुपात में नहीं है।

■ लोकसभा में OBC सदस्यों की वर्तमान संख्या:

- 17वीं लोकसभा में OBC समुदाय से लगभग 120 सांसद हैं, जो लोकसभा की कुल सदस्य क्षमता का लगभग 22% है।

Caste profile of 17th Lok Sabha

Upper caste Minorities SCs STs OBCs



Source: Lok Sabha

//

गीता मुखर्जी रपॉर्ट:

- गीता मुखर्जी रपॉर्ट में महिला आरक्षण वधियक की व्यापक समीक्षा की गई थी जसि पहली बार वर्ष 1996 में संसद में प्रस्तुत किया गया था।
- इस रपॉर्ट में वधियक में सुधार हेतु सात सफारिशें की गई थीं, जसिका उद्देश्य लोकसभा एवं राज्य वधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण प्रदान करना था।
- कुछ सफारिशें इस प्रकार हैं:
 - 15 वर्ष की अवधि के लिये आरक्षण।
 - एंग्लो इंडियंस के लिये उप-आरक्षण भी शामिल हो।
 - ऐसे मामलों में आरक्षण जहाँ राज्य में लोकसभा में तीन से कम सीटें हैं (या अनुसूचति जात/अनुसूचति जनजात के लिये तीन से कम सीटें हैं)।
 - इसमें दलिली वधानसभा के लिये आरक्षण भी शामिल है।
 - राज्यसभा और वधानपरषिदों में सीटों का आरक्षण।
 - संवधान द्वारा OBC के लिये आरक्षण का वसितार करने के बाद OBC महिलाओं को उप-आरक्षण प्रदान करना।

OBC महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण के पक्ष और वपिक्ष में तरक:

पक्ष में तरक	वरिद्ध तरक
<ul style="list-style-type: none"> उन्हें अपनी जात, वर्ग और लिंग के आधार पर कई प्रकार के भेदभाव व उत्पीडन का सामना करना पड़ता है। प्रायः उन्हें शक्ति, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक न्याय तक पहुँच से वंचित कर दिया जाता है। वे वभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के साथ आबादी के एक बड़े एवं वविधि वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी अलग-अलग आवश्यकताएँ और आकांक्षाएँ हैं जनिा अनन्य श्रेणियों की महिलाओं द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है। उन्हें ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है तथा हाशिये पर 	<ul style="list-style-type: none"> वधियक में पहले से ही अनुसूचति जात/अनुसूचति जनजात की महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, जो कि समाज में सबसे वंचित एवं कमजोर समूह हैं। OBC महिलाओं के लिये एक और कोटा जोड़ने से सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिये उपलब्ध सीटें कम हो जाएंगी, जनिहें पुरुष-प्रधान राजनीतिक व्यवस्था में भेदभाव तथा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। OBC महिलाओं के लिये अलग आरक्षण का वचार महिला आंदोलन के बीच और अधिका वभाजन एवं संघर्ष पैदा करेगा। यह सामाजिक परिवर्तन के लिये सामूहिक शक्ति के रूप में महिलाओं की एकजुटता व एकता को भी कमजोर करेगा। OBC महिलाओं के लिये अलग आरक्षण से उनकी समस्याओं जैसे-

पक्ष में तरक	वरिद्ध तरक
रखा गया है। उन्हें पतृसत्तात्मक मानदंडों, जातगत पूरवाग्रहों, हसलल एवं धमकी, संसाधनों तथा जागरूकता की कमी व कम आतृमवशुवास जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा है।	गरीबी, अशकुषल, हसलल, पतृसत्ता, जातवलद और भुरषुटाचार के मूल कारणों का समाधान नहीं होगा। <ul style="list-style-type: none"> यह राजनीतकु कषेत्र में उनकी प्रभावी भागीदारी और प्रतृनलधलतुव की गारंटी भी नहीं देगा, कयोंक उनहें अभी भी अपने दलों तथा समुदायों के पुुरुष नेताओं द्वारा प्रतीकातृमकता, सह-वकुलप, हेर-फेर एवं वरुचसुव जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

भारत में OBC आरकुषण का ऐतृहलसकु वकुलस:

- **कालेलकर आयोग (1953):** यह यातृा वरुष 1953 में कालेलकर आयोग की सुथापना के साथ शुुरु हुई, जसलने राषुटृीय सुतर पर अनुसूचतल जातल (Scheduled Castes- SC) और अनुसूचतल जनजातल (Scheduled Tribes- ST) से परे पछुड़े वरुगों को मानुयता देने का पहला उदलहरण पेश कयल।
- **मंडल आयोग (1980):** वरुष 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रपुलरुट में **OBC आबादी 52%** होने का अनुमान लगाया गया था और देशभर में 1,257 समुदायों को पछुड़े वरुग के रूड में पहचाना गया। इसने मौजूदा कोटा (जु पहले केवल SC/ST के लयल लागू था) को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने का सुझाव दयल।
 - इन सुझावों के बाद केंदुर सरकार ने अनुचुछेद 16(4) के तहत OBC के लयल केंदुरीय सवलल सेवा में 27% सीटें आरकुषतल करते हुए आरकुषण नीतल लागू की।
 - यह नीतल अनुचुछेद 15(4) के तहत केंदुर सरकार के शैकुषणकु संसुथानों में भी लागू की गई थी।
- **"कुरीमी लेयर" बहुरषुकरण (2008):** आरकुषण का लाभ सबसे वंचतल वुयकुतृयों तक पहुँचे यह सुनशुचतल करने के लयल सरुवुचुच नुयायालय ने OBC समुदाय में से "कुरीमी लेयर" को आरकुषण से बाहर करने का नरुदेश दयल।
- **NCBC के लयल संवैधानकु सुथतल (2018):** 102वें संवधलन संशुधन अधनलयलम ने **राषुटृीय पछुड़ा वरुग आयोग (NCBC)** को संवैधानकु दरुजा प्रदान कयल, जसलसे OBC सहतल पछुड़े वरुगों के हतुलु की सुरकुषा हेतु इसके अधकुलर और मानुयता में वृदुधल हुई।
- **नुयायमूरुतल जी. रोहणुी आयोग: संवधलन के अनुचुछेद 340 के अनुसार, 2 अकुतृबर, 2017 को** इसका गठन कयल गया और **नुयायमूरुतल जी. रोहणुी की अधुयकुषता वाले आयोग** ने लगभग छह वरुष बाद अनुय पछुड़ा वरुग (OBC) की जातृयुलु के उप-वरुगीकरण के लयल लंबे समय से प्रतीकुषतल रपुलरुट सामाजकु नुयाय तथा अधकुलरतल मंतृरालय को सौंपी।
 - रपुलरुट OBC के बीच उप-वरुगीकरण की अनवलरुयता को रेखुंकतल करतुी है।
 - इस उप-वरुगीकरण का उदुदेशुय ऐतृहलसकु रूड से कम प्रतृनलधलतुव वाले OBC समुदायुलु के लयल अवसरुलु को बढ़ाने हेतु मौजूदा 27% आरकुषण सीमा के अंतुरगत आरकुषण आवुटतल करना है।

UPSC सवलल सेवा परीकुषा, वगत वरुष के प्रशुन:

प्रशुन. भारत के नमलनलखलतल संगठनुल/नकुलरुलु पर वचलर कीजयल: (2023)

1. राषुटृीय पछुड़ा वरुग आयोग
2. राषुटृीय मानव अधकुलर आयोग
3. राषुटृीय वधुल आयोग
4. राषुटृीय उपभुुकता ववलद नवलरण आयोग

उपरुयुकुत में से कतलने संवधलनकु नकुलरुलु है?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दु
- (c) केवल तलन
- (d) सभी चार

उतुतर: (a)

